हिन्दी विभाग
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्रः नई दिल्ली

क्र.सं. 17 /हि.वि./21 दिनांकः 04.03.2021

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी भाषा में किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में विभागाध्यक्षों द्वारा निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है:-

1. कामकाजी हिन्दी में सरल तथा सहज रूप का प्रयोग करें।
2. मूल रूप से मसौदा तैयार करते समय उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
3. अनुवाद की भाषा सरल, भाषा-शैली सहज, स्वाभाविक और बोधगम्य होनी चाहिए।
4. अनुवाद में न केवल सरल और सुबोध शब्द इस्तेमाल किए जाएं बल्कि जहां तक हो सके वाक्य छोटे-छोटे बनाएं।
5. हिन्दी की सरलता, सहजता, सुगमता और एकरूपता पर विशेष ध्यान देते हुए हिन्दी में कार्य करने और टिप्पणी एवं मसौदा लेखन करने को प्रोत्साहित किया जाए।
6. सरकारी कामकाज में सभी अधिकारी व कर्मचारी हिन्दी का टिप्पण तैयार करते समय उसमें अंग्रजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं।
7. सभी विभागाध्यक्षों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत की जाने वाली फाइलों पर की जाने वाली टिप्पणियां केवल हिन्दी भाषा में लिखी जानी चाहिए।
8. सभी विभागों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का प्रत्युत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।
9. केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों पर लागू होती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या आधिकरण का कार्यालय भी केन्द्रीय

क्रमशः.../-

सरकार के कार्यालय की परिभाषा में सम्मिलित है। ऐसे सभी कार्यालयों में नामपट्ट, बोर्ड तथा अन्य सभी प्रकार के कार्य में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने नामपट्ट एवम् विभाग का नाम हिन्दी एवम् अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाए।

10. सभी अधिकारियों एव कर्मचारियों के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 के समस्त प्रावधानों को ndmc.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है जिसमें कि कामकाजी हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक सुगम बनाये जाने में सुविधा हो।

उपरोक्त के दृष्टिगत सभी विभागाध्यक्षो से अनुरोध किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न नियमों/उपनियमों के अनुपालन अत्यन्त गम्भीरता से करते हुए राजभाषा को गौरवात्मक तरीके से अधिकाधिक प्रयोग में लाया जाए।

निदेशक (जनसम्पर्क)

प्रतिलिपिः-

सभी विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष के निजी सचिव
सचिव के निजी सचिव